<u>स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2014–2015</u>

(1) **<u>संगठन, कार्य एवं कर्तव्य का ब्यौरा</u> :–** यह एक राज्य सरकारी विभाग है। यह उन स्थानीय निधियों की आय/व्यय का अंकेक्षण कार्य करता है जो साधारणतयः राज्य की संचित निधि का हिस्सा नहीं है और जिनका महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण नहीं किया जाता है। विश्वविद्यालयों, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड, विपणन बोर्ड तथा पांच प्रमुख विपणन समीतियों में अंकेक्षण का कार्य पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। महालेखाकार द्वारा साधारणतयः इन संस्थाओं का अंकेक्षण नही किया जाता है। यह विभाग निम्नलिखित संस्थाओं के अंकेक्षण कार्य के लिए उत्तरदायी हैः–

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम
1	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड
6	विपणन समितियां
7{ए}	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
10	नगर निगम शिमला
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड
14	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद

18 हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी

19 मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष

20 मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष

21 हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैनटीन

22 मेला एवं उत्सव

23 हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद

24 आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड

25 रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झंडा रोहण दिवस निधि

26 राज्य सैनिक बोड़ विशेष निधि आर.आर. सैनिक विश्राम निधि

27 सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि,जिला खेल ,सेस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि

28 ई-गर्वनेन्स

29 इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला

30 पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली

31 हिम कॉपस (HIMCOPS)] शिमला

नोटः- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त संस्थाओं का अंकेक्षण कार्य सम्बन्धित संस्था के अधिनियम/नियमों इत्यादि के अधीन किया जाता है जिसका विवरण परिशिष्ट- (अ) में दिया गया है।

(2). **अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य** :- विभाग, प्रधान सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्ण प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करता है।

निदेशक एवं परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा :- विशेष सचिव(वित्त) निदेशक एवं परीक्षक स्थानीय निधि लेखा विभाग हि0प्र0 के पद का कार्यभार संभालते है।

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :-

अतिरिक्त निदेशक :- वह कार्यालय का मुखिया होने के साथ विभाग में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के नियन्त्रण अधिकारी भी है।

उप निदेशक-1 :- वह तकनीकी शाखा के प्रभारी हैं। वह हिमुडा के अंकेक्षण कार्य तथा तीनो विश्वविद्यालयों व हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, शहरी निकायों एवं जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के शैक्षणिक संस्थानों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च्य प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

उप निदेशक-2 :- वह विपणन बोर्ड शिमला, सभी विपणन समितियों,मन्दिर न्यासों, ई-गर्वनेन्स, तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला एवं जिला चम्बा, ऊना, और कांगडा तथा अन्य प्रमुख विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च प्राधिकारी द्वारा आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

सहायक निदेशक :- वह विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं एवं संस्थापना व लेखा शाखा के प्रभारी है। वह सरकारी पाठशालाआ/महाविद्यालयों, औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों/बहुतकनीकी संस्थानों एवं जिला कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर, हमीरपुर, लाहौल स्पिति और कांगड़ा जिले के देहरा वृत तथा अन्य लघु विविध संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विधीक्षा तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आबंटित अन्य कार्य के लिए उतरदायी है।

***अनुभाग अधिकारी* (स्थापना) :-** वह प्रशासनिक तथा लेखा अनुभाग का कार्यभार देखते है।

अनुभाग अधिकारी(तकनीकी शाखा) :- वह मुख्यालय में तकनीकी अनुभाग का कार्यभार देखते है।

कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- वे मुख्य कार्यालय में लेखा, स्थापना एवं तकनीकी अनुभाग में सम्बन्धित सहायक का कार्य करते हे।

लिपिक :- प्रारूपों को टंकित करने तथा अंकेक्षण प्रतिवेदनों का मिलान करना व प्राप्ति एवं प्रेषण कार्य करते है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं के कार्यरत अधिकारी :- संयुक्त नियन्त्रक/उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक और अनुभाग अधिकारी विश्वविद्यालयों, स्कूल शिक्षा बोर्ड/विपणन बोर्ड, विपणन समीतियों में निवासी अंकेक्षण योजनाओं के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ये अधिकारी पूर्व अंकेक्षण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करते हैं तथा वहां तैनात अपने अधीनस्थ स्टाफ के कार्यों का निपटारा करते है।

निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक :- निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक निवासी अंकेक्षण योजनाओं का पूर्वाकेक्षण एवं उतरांकेक्षण कार्य करते है।

वृतों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी :- स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार में आने वाली संस्थाओं के उतराकेक्षण कार्य को अंकेक्षण वृतों में कार्यरत सहायक नियन्त्रक/ अनुभाग अधिकारी/कनिष्ठ लेखा परीक्षक करते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक भी विभाग द्वारा हिमुडा और अन्य बडी संस्थाओं के विशेष अंकेक्षण दलों द्वारा किये गये कार्य का निरीक्षण करते है।

(3) निर्णय एवं उतरदायित्व माध्यम सहित :-

विभाग में प्राप्त समस्त पत्राचार को सम्बन्धित सहायक(कनिष्ठ लेखा परीक्षक)/लिपिक जो अनुभाग अधिकारी, सहायक निदेशक जो भी स्थिति हो, समक्ष सम्बन्धित नस्ति प्रस्तुत करते हैं और मामलों का अतिरिक्त निदेशक, निदेशक या प्रधान सचिव(वित्त) हि0प्र0 सरकार के स्तर पर अन्तिम निपटारा किया जाता है। निवासी अंकेक्षण योजनाओं में पूर्वांकेक्षण एवं उतरांकेक्षण की कार्यवाही करके कनिष्ठ लेखा परीक्षकों द्वारा अनुभाग अधिकारी/सहायक नियन्त्रक, उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक जैसी भी स्थिति हो, में जांच एवं अन्तिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। मामले की प्रकृति के अनुसार वृतों में तैनात अंकेक्षण दलों को मौके पर ही मामलों का निपटारा

करना होता है जबकि निवासी अंकेक्षण योजनाओं में कार्यरत स्टाफ एवं वृतों में तैनात अंकेक्षण दल पूर्ण रूप से विभागीय मुख्य कार्यालय के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में कार्य करते हे।

(4) <u>कार्य का निपटारा करने हेतु तय किए गए मानक :-</u> विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण कार्य निपटाने के लिए तैयार मानक अंकेक्षण स्टाफ को जारी किए जाते हैं। विभाग द्वारा निम्नलिखिम मानक तय किए गए है:-

1. अंकेक्षण कार्य हेतु समय
2. अंकेक्षण शुल्क की दरें
3. विभिन्न संस्थाओं के पूर्वांकेक्षण एवं उत्तरांकेक्षण के लिए अंकेक्षण कार्य की सीमा तय करना।
4. अंकेक्षण में विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों के लिए माप दण्ड।
5. विभाग अपने अंकेक्षण क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के पूर्वाकेक्षण एवं उतरांकेक्षण का कार्य उनके एक्ट/नियम पुस्तक/विधेयक/परिनियमों/सम्बन्धित संस्थाओं जो सरकार द्वारा/संस्थाओं को समय समय पर जारी दिशानिदेर्शो तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत किया जाता है।

(5) <u>विभाग के नियन्त्रण में नियम, विनियम, दिशानिर्देश नियम पुस्तकें और अभिलेख</u> :- विभाग के नियम, दिशा निर्देशों जो दैनिक कार्य को निपटाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, का पालन करता है।

(6) <u>विभाग के नियन्त्रण में दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण :-</u>

(1) कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी अभिलेख.

(2) विभाग के कार्य क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन।

(3) स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन।

(4) विभाग के अंकेक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन संस्थाओं से देय अंकेक्षण शुल्क की वसूली से सम्बन्धित मांग एवं वसूली अभिलेख।

(7) <u>किसी व्यवस्था का विवरण जो परामर्श अथवा जनता के सदस्यों के आवेदन नीति अथवा उसके प्रशासन की रचना के विद्यमान हो।</u>

विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अधीन व सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए विशेष अंकेक्षण कार्य के लिए उतरदायी है तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क नही रखता है।

(8) <u>बोर्ड, परिषद समितियां एवं अन्य निकायों जिनका गठन दो अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा परामर्श एवं उन बोर्ड, परिषद, समितियों तथा अन्य निकायों जो सार्वजनिक हो या जिनकी बैठकों की कार्यवाही जन साधारण के लिए हो, का विवरण</u> :-

सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई बोर्ड, कौंसिंल समीति या दो से अधिक लोगों द्वारा संस्था नहीं बनाई गईं है।

(9) **<u>अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका:-</u>** स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से निर्देशिका परिशिष्ट (ब) में संलग्न है।

<u>(10). विभाग के प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक मानदेयः-</u>

हि0प्र0 सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही इस विभाग द्वारा लागू किए गए है। वेतनमान से ज्यादा या अलग कोई भी मानदेय लागू नही किया गया है तथापि विभाग में विभिन्न पदो के पे बैण्ड तथा ग्रेड पे से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ट-स** में दिया गया है। विभाग में लगाए गए आर्टीकल सहायकों को वृतों में अंकेक्षण कार्य करने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार 30 नवम्बर 2014 तक मु0 500/- रू0 एवं ततूपश्चात 01.12.2014 से मु0 650/- रू0 प्रति कार्य दिवस की दर से मानदेय दिया जाता है।

(11)<u> विभाग की विभिन्न एर्जेन्सी को आबंटित बजट में इसकी सभी योजनाओं अनुमानित व्यय और उसके संवितरण का प्रतिवेदन।</u>

विभाग को अपनी स्थापना व सम्बन्धित व्यय करने के लिए बजट आबंटित किया जाता हे। विभाग के नियन्त्रक/अधीन कोई भी एजेन्सी कार्यशील नही है जिसे विभाग या सरकार द्वारा बजट का आबंटन किया जाता है।

<u>(12) पावती में छूट, अनुक्षपति या प्राधिकरण प्रदान करने का विवरणः-</u> इस विभाग द्वारा कोई भी छूट, अनुज्ञप्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।

(13)<u> अनुदान कार्यक्रमों जिसमें लाभार्थियों को अनुदान आबंटित किए गए के, निर्धारित तरीके से निष्पादन</u>ः-सम्बन्धित सूचना शून्य समझी जाए क्योंकि अभी तक इस विभाग में कोई अनुदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

(14)<u> सूचना जिसका विस्तृत विवरण मोजूद है या रखा गया है, को इलैक्ट्रोनिक फार्म में तबदील करके कम करना :-</u> वर्तमान में विभाग में हस्तलिखित व टंकण पद्धति द्वारा अभिलेख रखा जाता है तथा धीरे-2- अभिलेख को इलैक्टोनिक फार्म में तबदील करने हेतु सुविधाएं जुटाई जा रही हैं।

(15) <u>सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित जनता के लिए सुविधा पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष सहित यदि जनता के उपयोग के लिए बनाई गई हो.</u>

सभी नागरिक विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तथापि इस विभाग में जनता की सुविधा के लिए कोई पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष नहीं है ।

(16)<u>. स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 में अपील प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण</u>

मुख्यालय कार्यालय :-

क्र0 सं0	जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी, पीआईओ/एपीआईओ	कार्यालय का पूरा पता	कार्यालय दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620046
3	श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, सहायक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620881

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 की निवासी अंकेक्षण योजनाओं में जन सूचना अधिकारी

क्र0सं0	निवासी अंकेक्षण योजना का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष सं0
1	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	01894-230354
2	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला.	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	01892-229333
3	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	0177-2830892
4	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	संयुक्त नियन्त्रक/उप नियनत्रक (ले0प0)	01792-252171
5	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी,शिमला-2	सहायक नियन्त्रक(ले0प0)	0177-2621316
6	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला-12.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	0177-2841167
7	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01792-230459
8	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01892-265195
9	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01907-265592
10.	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	अनुभाग अधिकारी(ले0प0)	01902-222208

महत्वपूर्ण सम्पर्क दूरभाष नं0

क्र0सं0	अधिकारी का नामव पदनाम	विभाग का नाम	कार्यालय दूरभाष सं0	आवास दूरभाष सं0
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग अपील प्राधिकारी	स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177-2620757	9418381433
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक जन सूचना अधिकारी	-यथोपरि	0177-2620046	9418083689

(17) दूसरी अन्य सूचनाऐं जैसे कि अधिनियम में अधिसूचित की गई हैं । ''शून्य''

<u>विभाग की दूसरी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाऐं</u> :-

1. ***<u>अंकेक्षण की स्थिति :</u>***

प्रतिवेदन अवधि के दौरान विभाग द्वारा कुल 270 संस्थाओं का अंकेक्षण किया गया है।

2. <u>स्टाफ स्थिति :</u>

दिनॉक 31.03.2015 को विभाग में सृजित कुल 132 पदों के विरूद्व 105 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे तथा 27 पद रिक्त थे ।

3. <u>आर्टिकल सहायकों की एम्पेनलमैंट :</u>

सरकार द्वारा आर्टिकल सहायकों की एम्पैनलमैंट करने की नीति बनाई गई है जिसके लिए वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले स्नातक/स्नातकोतर उम्मीदवारों की नियत कार्य (assignment) के आधार पर तैनाती की गई है।

4. <u>आय व्यय की स्थिति :</u>

प्रतिवेदन अवधि में विभाग की आय-व्यय की स्थिति इस प्रकार थी :

वर्ष	विभाग की स्वीकृत बजट राशि	विभाग की वास्तविक व्यय राशि	अंकेक्षण शुल्क स्वरूप अर्जित राजस्व प्राप्ति	व्यय के विरूद्ध अर्जित आय का प्रतिशत
2014-15	7.17 करोड	6.16 करोड	1.31 करोड	21.26 %

5. <u>वर्ष 2014–15 में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं :–</u>

वर्ष 2014–15 में जारी किए गए विभिन्न संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदनो के आधार पर निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं पाई गई :

1. नगर परिषद बिलासपुर, जिला बिलासपुर, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5.1	अनुदान राशि का अनियमित व्यय	6.08
6	किराये व देय ब्याज की वसूली न करना	65.76
7	विश्राम गृह, रैहन बसेरा के किराये की वसूली न करना	2.47
8	पालिका बाजार के निर्माण हेतु अग्रिम जमा राशि में से अनुपयुक्त	6.89

	राशि हिमुडा कार्यालय से वसूली न करना	
17	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण फीस की वसूली शेष	3.00

2. नगर परिषद चम्बा, जिला चम्बा, अवधि 04/2010 से 03/2013

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
7	अग्रिम धन राशियों का समायोजन न करना	9.76
9 (1)	गृह कर की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	55.49
9 (2) (I)	नगर परिषद के भवनों, दुकानों व अन्य परिसरों के किराए की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	52.02
9 (2) (II)	अनुबन्ध की शर्त के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का किराया न बढ़ाने के फलस्वरूप वित्तीय हानि।	7.37
9 (2) (V)	दुकानों के किराए की राशि को नगर परिषद के खाते में जमा न करके संदिग्ध गबन	3.54
9 (VIII)	मैसर्ज डी0के0एण्ड क0 से नगर परिषद के जन्ज घर की नीलामी के एवज में वसूली योग्य राशि	26.46
10 (12)	28 बैंचों की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि न करने बारे	2.51
10 (21)	Segregation of Solid waste Management पर अपव्यय	9.44
11 (1)	नगर परिषद अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53 (1) (C) की अवहेलना कर स्थापना पर अधिक व्यय	43.57
11 (5)	वेतन के रूप में कर्मचारियों को अधिक भुगतान	2.78
12 (1)	दिनांक 01.01.06 से संशोधित पैन्शन के रूप में अधिक भुगतान	3.15

3. नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5 (ख)	दिनाँक 31.3.2014 के अनुदानों को अनयुपयुक्त राशि शेष	156.30
9	गृहकर की बकाया राशि की वसूली शेष	74.95
9 (क)	माँग व संग्रह रजिस्टर में बकाया गृहकर की राशि को कम दर्शाने बारे	2.46
10(क) व (ग)	दिनाँक 31.3.2014 की दुकानों के किराये की वसूली योग्य शेष	72.55
11	विभिन्न कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते के रूप में अनियमित भुगतान	1.37
15	विभागीय तौर पर सीमेन्ट जारी न करने से हुई वित्तीय हानि	4.36

19	मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करने बारे	2.40

4. नगर परिषद ज्वालामुखी, जिला काँगड़ा, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	₹(लाख)
6 (क)	दिनाँक 31.3.2014 का अनुदानों को अनुपयुक्त राशि	549.33
6 (ख)	व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	140.95
7 (क)	गृहकर की लम्बित वसूली	103.81
7 (ख)	निर्धारित दर से गृह कर की माँग न करने के फलस्वरूप परिषद को वित्तीय हानि	10.33
8	दुकानों के किराये की लम्बित वसूली	58.94
18	जी0डी0 हयूम पाईप की खरीद पर अपव्यय	1.64
19	कर्मचारियों की वेतन एवं भत्ते के रूप में अनुचित भुगतान	4.56

5. नगर परिषद मनाली, जिला कुल्लू, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5 (क)	दिनाँक 31.03.2014 को अनुदान की अनुप्युक्त राशि	164.24
5 (ख)	अनुदान राशियों का अन्य उद्देश्यों पर अनियमित व्यय	19.24
6	दिनाँक 31.3.14 को अग्रिम समायोजन हेतु शेष	3.06
7 (क)	दिनाँक 31.3.14 को गृह कर की वसूली योग्य राशि शेष	25.67
7 (ख)	गृहकर की बढ़ी हुई दरों से वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	5.90
7 (घ)	दिनाँक 31.3.14 को दुकानों के किराये की वसूली योग्य राशि शेष	84.40
7 (ण)	मोबाईल टावर कम्पनियों से टावर शुल्क की राशि वसूली योग्य शेष	1.81
10 (ख)	संविदाकार से विभागीय तौर पर जारी किये गये सीमेन्ट की वसूली न करने बारे	0.65
11	सक्षम अधिकारी की बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए निर्माण कार्य का निष्पादन करने बारे	61.86

12	दिनाँक 31.3.14 को हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से बिजली शुल्क की वसूली योग्य राशि शेष	4.09

6. नगर परिषद नाहन, जिला सिरमौर, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5 (3)	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय से वंचित होना	8.65
6 (1)	अनुदानों की राशि का उपयोग न करना	103.39
8 (1)	नगर परिषद द्वारा स्थापना पर निर्धारित मानदंडों से अधिक व्यय	404.21
8 (6)	अनुबन्धित वाहन चालकों के वेतन पर अनियमित व्यय	3.96
9	भण्डार में अनुपयोगी/बेकार पड़ी वस्तुओं का निपटारा न करना	8.70
22	पैन्शन की बकाया राशि का अनियमित भुगतान	12.95
24 (1)	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	181.35
26 (क)	स्टालों/दुकानों/गेराजों के किराये की राशि वसूली योग्य शेष	36.96

7. नगर परिषद संतोषगढ, जिला ऊना अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	₹(लाख)
6 (ख)(i) (ii)(iii)	गृहकर, दुकानों स्टालों के किराए, चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	55.15
6 (ख) (iv)	मोबाईल टावर की लम्बित वसूली	66.04
7	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करना	79.62
8 (ख)	कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का अधिक भुगतान	0.13
9 (क)	संविदाकारों के निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कम वसूली	1.61
9 (ग,घ,ङ,च)	संविदाकार को अधिक भुगतान	0.43

8. नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर, अंकेक्षण अवधि 04/12 से 03/14

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सम्बन्धित सार	₹(लाख)
6	दिनाँक 31.3.14 को अनुदानों की अनुप्युक्त राशि	17.65

7	कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का अनियमित भुगतान	2.31
8 (क)	दिनाँक 31.3.14 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	20.82
9 (क)	किराये की वसूली योग्य राशि शेष	6.88
10 (1)	दिनाँक 31.3.2014 को तहबाजारी शुल्क वसूली योग्य शेष	1.56
16 (1)	सीमेन्ट आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान की गई राशि का समायोजन न करना	7.36
17 (2)	शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने पर संविदाकार से अनुबन्ध की शर्तानुसार पैनेलटी वसूल न करने बारे	3.25

9. नगर परिषद सुन्दरनगर, जिला मण्डी अवधि 04/2011 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
6	गृहकर की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	1.60
7	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली न करना	19.33
7.2	सुकेत दुकानों के शॉपिंग काम्पलैक्स की किराया की वसूली न करना	77.16
7.3	माँग व संग्रह रजिस्टर में दुकानों के किराये की बकाया राशि को कम दर्शाना	3.26
8	गृहकर की दरों में बढ़ौतरी न करने के परिणामस्वरूप परिषद को वित्तीय हानि	19.86
10	पैन्शन की राशि का अधिक भुगतान	1.36
18	मेम्बर सैक्टरी साडा नेरचौक से गाड़ी के किराये की वसूली योग्य राशि शेष	3.56
22.1	अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों पर अनियमित व्यय	22.90

10. नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5	अनुदान की राशि का 31.03.13 तक उपयोग न करना	38.91
6	गृहकर व दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करना	34.11
7	मोबाईल टावर कम्पनियों से वसूली योग्य शेष राशि	0.75
18	संविदाकार से आयकर की राशि की वसूली न करना	0.36

11. नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, अवधि 04/2012 से 03/14

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6 (1)	अनुदान की धनराशि को योजनाओं के धीमी गति से क्रियान्वयन करने के कारण अवरूद्ध करना	1013.77
6 (6)	दो वर्षों से अधिक अवधि तक की अनुदान राशि का उपयोग न करना	52.41
6 (4)	अनुदान में से वेतन व मजदूरी पर निर्धारित मापदण्डों से अधिक व्यय	46.05
9	विविध अग्रिमों के रूप में दी गई राशियों की वसूली शेष होना	43.40
19 (1)	रोकड़ बही में प्राप्त आय की गणना कम करना	1.06
19 (2)	लीज धारकों से शेष वसूली	45.75
24	स्थापना पर निर्धारित प्रावधानों से अधिक व्यय करना	37.59
19 (2)	वेतन व भत्तों का अधिक/अनियमित भुगतान	45.75
44	सीमेन्ट को सरकारी उपक्रम के माध्यम से क्रय करने की अपेक्षा स्थानीय खुले बाजार से उच्च दर पर क्रय करने पर सम्भावित वित्तीय हानि	6.94
47	भण्डार वस्तुओं का सम्भावित दुर्विनियोजन	21.57

12. नगर पंचायत दौलतपुर चौक, जिला ऊना, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5.1	उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	155.84
6	स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय करना	50.76
7.2	दिनांक 31.3.2013 तक गृह कर की लम्बित वसूली	21.26
7.3	दुकानों/स्टालों के किराए की लम्बित वसूली	0.76
7.7 (i)	दुकानदारों से प्रतिभूति की वसूली न करना	1.07

9.1	संविदाकार को अनियमित भुगतान	8.43

13. नगर पंचायत गगरेट, जिला ऊना, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5.3	स्वीकृत बजट से अधिक अनाधिकृत व्यय	15.28
6.2 (i)	दिनांक 31.3.2013 को गृहकर की लम्बित वसूली	25.47
6.2 (iii)	दुकान किराए की लम्बित वसूली	5.97
8.1	सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अतिरिक्त मदों अनियमित भुगतान	5.15
8.2	निर्माण कार्य में आए विचलन (Deviation) का अनियमित भुगतान	21.77
8.3	रायल्टी की कटौती न करना	0.33

14. नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर, जिला मण्डी, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5 (ग)	दिनाँक 31.3.2013 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	47.44
6 (ख)	गृहकर की वसूली न करना	48.26
6 (ग)	दुकानों के किराये की वसूली शेष	2.44
6 (घ)	मोबाईल कम्पनियों से वसूली योग्य राशि शेष	1.41
7 (ख) (ii)	कर्मचारियों से मकान किराया का अनियमित भुगतान	0.36
8 (क)	सीविल सप्लाई निगम से सीमेन्ट की कम प्राप्ति	0.27

15. नगर पंचायत मैहतपुर, जिला ऊना, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	(₹) लाख
5.1	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना	280.22

5.3	अनुदान की राशि रोकड़ वही में कम दर्ज करना	2.34
5.5	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय	206.45
6.1	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	210.51
6.2	दुकानों/स्टालों के किराए की वसूली न करना	6.32
6.3	चूल्हा टैक्स की लम्बित वसूली	4.49
6.4	मोबाईल टावर की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की वसूली न करना	1.27
8 (ख)	संविदाकार को अधिक/अनुचित भुगतान	0.63

16. नगर पंचायत रिवालसर, जिला मण्डी, अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5 (क)	दिनांक 31.3.11 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	53.15
6 (ख)	गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	37.23
6 (घ)	दुकानों के किराये की वसूली शेष	2.48
8(ख)व (ग)	गलत गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	0.32
8 (ण)	स्टॉक में गलत शेष दर्शाकर 60 बैग सीमेन्ट का दुरूपयोग	0.20

17. नगर पंचायत नादौन, जिला हमीरपुर, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6 (ii)	दिनाँक 31.3.2014 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	2.71
8	दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की वसूली योग्य राशि शेष	22.17
9	दुकानों/स्टालों इत्यादि के किराये की राशि वसूली योग्य शेष	15.76

18. नगर पंचायत नारकण्डा, जिला शिमला, अवधि 04/2011 से 03/2014 तक

पैरा सं0	अनियमितताओ का सार	₹(लाख)
5.1	दिनाँक 31.3.14 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि	145.14

5.2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान का वेतन पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय	3.13
5.3	IDSMT से प्राप्त अनुदान राशि का अनियमित व्यय	17.28
5.4	D.C./BDO से सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान राशि को गत 6 वर्षों से व्यय न करना	4.00
7	दिनाँक 31.3.14 को गृहकर की बकाया राशि वसूली योग्य शेष	5.14
7 (3)	हि0प्र0 के वित्त विभाग की सिफारिशों के आधार पर गृहकर को अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	3.13
8	दिनाँक 31.3.14 को किराये के रूप में बकाया राशि वसूली योग्य शेष	17.86
10 (1)	मोबाईल टावर/कम्पनियों से मोबाईल टावर स्थापना शुल्क के रूप में वसूली योग्य शेष	1.24
13	नगर पंचायत सचिव/पटवारी को मानदेय का अनियमित भुगतान	0.46

19. नगर पंचायत सरकाघाट, जिला मण्डी, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5 (क)	दिनाँक 31.3.2014 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	553.04
6	दिनाँक 31.3.2014 को गृहकर की वसूली हेतु राशि शेष	29.98
6.1	गृहकर निर्धारित दरों से वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	1.41
6.2	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	19.28
8 (क)	अनुबन्ध की शर्तों अनुसार छूट की कटौती न करने के फलस्वरूप संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतान	0.64
9 (क)	सिंचाई एवं जनस्वास्थय विभाग द्वारा सड़क में तोड़फोड़ कर नगर पंचायत द्वारा सड़क मुरम्मत पर व्यय राशि को वसूल न करना	23.09
11	विभागीय औचित्य दर से अधिक दरों पर भुगतान करने के फलस्वरूप संविदाकारों को अधिक भुगतान	0.96
12 (क)	(आर0डी0) की लम्बाई अधिक गणना दर्शाकर संविदाकारों को अधिक भुगतान	1.85

13	मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान राशि का सम्भावित दुरूपयोग	13.40

20. श्री महामाया बालासुन्दरी जी, मन्दिर न्यास, त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर, अवधि 04/2010 से 03/2013.

पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
16 (क)	जलपान गृह के किराए की वसूली न करना	4.94
22	मन्दिर न्यास द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक संख्या में पद भरने के फलस्वरूप वेतन का अनियमित भुगतान करना	76.98
25	01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करने के उपरान्त, देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि के गलत नियतन के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना	1.15
27	01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारण में त्रृटियों के कारण वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करना	1.06
29	न्यास के कर्मचारियों को गलत दर से मासिक वेतन का भुगतान करने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना	0.62
31	दैनिक भोगी कर्मचारियों को गलत दर से मजदूरी प्रदान करने के कारण में अनियमित रूप से अधिक भुगतान करना	7.17
36	विज्ञापनों इत्यादि पर अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय करना	10.36
45	विविध अग्रिमों के रूप में वसूली हेतु राशि का शेष पाया जाना	15.71

21. मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा, अवधि 01/2013 से 12/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5 (ख)	वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में राशि की अप्रत्याशित कमी का होना	116.04
14	मन्दिर न्यास श्री ज्वालामुखी के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में अनियमित एवं गलत भुगतान	24.44
17	विभिन्न पत्रिकाओं में विज्ञापन देने हेतु अनियमित व्यय	0.40

22.श्री तारा देवी मन्दिर न्यास, तारा देवी जिला शिमला, अवधि 01/2010 से 12/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5 (ख)	मन्दिर न्यास द्वारा सावधि जमा योजना में निवेश न करने तथा उचित वित्तीय प्रबन्धन न किए जाने के कारण ब्याज के रूप में सम्भावित आय से वंचित रहना	3.28
13 (क)	कार्य मद "प्रोवाईडिंग एंड फिक्सिंग लोकल स्लेट 26 एमएम टू 20 एमएम ऑन आरसीसी सरफेसिस" की अधिक गणना करने के कारण सम्भावित अधिक भुगतान करना	11.62
14	मन्दिर काम्पलैक्स से ब्रास्ट रेल्लिंग लगाने के लिए बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए भुगतान	7.75
15	डिपोजिट वर्कस के लिए राशि का भुगतान करने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न करना	30.00
16	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	4.75
17	संविदाकारों के भुगतान बिलों से नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर व लेबर कर की कटौती न करना	4.66

23.श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर न्यास दियोटसिद्ध, जिला हमीरपुर अवधि 01/2012 से 12/2012

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
5 (क)	कम दरो पर राशि निवेशित करने के कारण ब्याज के रूप में वित्तीय हानि	9.32
10 (ग)	मन्दिर न्यास में कार्यरत्त कर्मचारियों को विशेष भत्ता के फलस्वरूप अधिक भुगतान	2.36
13	विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	5.77

24.श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर मन्दिर न्यास चामुण्डा, जिला कांगडा, अवधि 01/2012 से 12/2012

पैरा सं0	अनियमितता का सार	₹(लाख)
10 (च)	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	1.51

11	आयकर एवं बिकी की की वसूली न करना	.81

25. श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास, जाखू जिला शिमला अवधि 01/2011 से 12/2012

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5 (क)	सावधि जमा से प्राप्त ब्याज राशि पर कर (टी0डी0एस0) का मामला आयकर विभाग से न उठाना	1.00
9	रसीदों से प्राप्त राशि को बैंक में जमा न करना	0.12
10	मूल औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना भुगतान	3.78
11	विज्ञापनों पर अनियमित व्यय करना	2.76
12	बिना निविदाएं आमन्त्रित किये विभिन्न मदों पर अनियमित भुगतान	0.79
13	श्रमिकों को अनियमित प्रकार से अधिक भुगतान	0.50

26. अर्न्तराष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कमेटी शिमला अवधि 10/2005 से 12/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5 (iv)	रोकड़ बही में व्यय की राशियों को दो बार दर्ज करने पर व्यय को अधिक दर्शाकर राशि का सम्भावित दुरूपयोग करना	4.70
5 (vi)	अवधि 10/05 से 3/10 के दौरान किये गये व्यय की राशि के भुगतान की प्रविष्टियाँ का रोकड़ बही में नहीं पाया जाना	6.81
5 (vii)	बैंक द्वारा uncleared चैकों की राशि को डेबिट/व्यय पक्ष में दर्शाकर कम करना तथा संस्था द्वारा इन राशियों के बारे में कोई कार्रवाई न करना	3.07
7	अर्न्तराष्ट्रीय ग्रीष्म महोत्सव शिमला के आयोजन के लिये बिजली के कनैक्शन लेने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में जमा प्रतिभूति की राशि को वापिस न लेना	1.68

9	मोबाईल फोन की खरीद पर राशि का अनियमित भुगतान करना	0.67
12	दूरदर्शन केन्द्र शिमलाको बिना किसी अभिलेख/बिल/प्रमाण पत्र के भुगतान करना	5.80
15	ग्रीष्म महोत्सव आयोजन में खरीदी गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	7.99
17	अग्रधन के रूप में किये गये` भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव न करना	19.34

27. हमीर उत्सव हमीरपुर अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	**गम्भीर अनियमितताओं का सार**	**₹(लाख)**
6	सांस्कृतिक दलों को अधिक भुगतान	0.69
7	मैसर्ज शाम पेटिंग सर्विस नादौन को अनियमित भुगतान करना	0.30

28. कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा सं0	**गम्भीर अनियमितताओं का सार**	**₹(लाख)**
6	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	4.27
7	दुकानों के किराए के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	31.13
10	लाईसैन्सधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम शुल्क की वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को सम्भावित हानि	0.48
22 (क)	रोकड़ बही में आय की राशि की प्रविष्टियाँ न करना	19.19
22 (ग)	रोकड़ वही में खर्चों का ईन्द्राज न करना	12.10
22 (घ)	रौकड़ वही में राशि का दो बार ईन्द्राज करना	2.62
21	उप समिति कोटी में दुकानों के किराये से सम्बन्धित राशि की वसूली न होने के कारण मण्डी समिति को वित्तीय हानि	3.11
27	डिपोजिट कार्यों हेतु जमा करवाई गई राशि के उपयोगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	154.24

29.कृषि उपज मण्डी समिति कांगडा, जिला कांगडा अवधि 04/2012 से 3/2013

पैरा सं	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5 (i)	बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर कम ब्याज क्रेडिट दिया जाना	1.3
6	दुकानों के लम्बित किराये की वसूली न करना	9.85
7	मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली न करना	3.94
8	चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम वसूली	.94

30. कृषि उपज मण्डी समिति, कुल्लू एवं लाहौल स्पिति, अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
8	दुकानदारों से दुकानों के लम्बित किराए की राशि वसूली योग्य शेष।	19.96
9	मण्डी शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	3.71
10	नाका चौकी बजौरा में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क में से बैंक में कम राशि जमा करवाया जाना	0.19
11	नाका चौंकी बजौरा तथा लारजी में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की कम वसूली करना	0.42

31.कृषि उपज मण्डी समिति, सोलन अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6	मण्डी शुल्क की कम वसूली करना	4.97
10 (क)	डिपोजिट वर्कस की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	104.24
10 (ग)	आयकर विभाग के नाम राशि का असमायोजित दर्शाया जाना	137.94
11 (क)	Market Fees तथा Rent की Recovery इत्यादि से सम्बन्धित Bounced Cheques की न्यायलय के माध्यम से वसूली न करने बारे	13.17

11 (ख)	दुकानों के किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	24.98
11 (ग)	टर्मिनल मण्डी परवाणु में पट्टे पर आंबटित दुकानों से पट्टे की वसूली योग्य राशि शेष	22.10

32.कृषि उपज समिति, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, अवधि 04/2011 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6	रोकड़ बही में वित्तीय लेन–देन का लेखाँकन न करना	245.03
9	अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल विपणन समिति द्वारा विपणन बोर्ड में अधिक राशि जमा करना	3.68
10	दुकानों/गोदामों के प्राप्त किराये पर नियमानुसार देय सेवाकार को किरायेदारों से न वसूलने के कारण वित्तीय हानि	1.88
11	दुकानों/गोदामों से प्राप्त होने वाले किराये की राशि का वसूली योग्य शेष पाया जाना	2.57
14	तहसीलदार वसूली के माध्यम से निर्धारित की गई किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.55
15	अनुबन्ध की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों द्वारा दुकानों का किराया विलम्ब से जमा करवाने पर भी देय दण्ड शुल्क (penality) की वसूली न करना	2.70

33. पंडित सन्त राम राजकीय महाविद्यालय, बैजनाथ जिला काँगड़ा अवधि 06/2006 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
7	छात्रों से नियमानुसार देय शुल्क की राशि की वसूली न करना	0.87
13	मिश्रित निधि से राशि का अनियमित व्यय	3.36

34. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, अवधि 04/2010 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
8	रसीदों द्वारा प्राप्त आय की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करना	0.39
9	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज फीस के रूप में प्राप्त आय की राशि में से सरकारी कोष में कम जमा करवाया जाना	0.16
10	श्रीमती गीता दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी को समिश्रित निधि से अनियमित भुगतान	0.69
11	समिश्रित निधि से कार्यालय के बिजली के बिलों व टेलीफोन बिलों के भुगतान हेतु अनाधिकृत रूप से ऋण दिए जाने बारे	3.12

35. राजकीय महाविद्यालय दौलतपुर चौंक, जिला ऊना, अवधि 14.09.2006 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
4	छात्रों से निधियों की राशियां वसूल न करना	1.24
8	टयूशन शुल्क की राशि को राजकोष में जमा न करना	0.57
9	विभिन्न निधियों से जारी की गई अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.86
10	मिश्रित निधि से बिजली, दूरभाष तथा पानी के बिलों हेतु अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.32
11	मिश्रित निधि से अनियमित भुगतान	0.68
18	मैगजीन निधि से राशि का अधिक भुगतान करना	0.71
19	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से अनियमित भुगतान	1.10
22	"Boys Funds" से अनियमित रूप से व्यय करना	10.21

36. राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन, अवधि 04/1995 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
6	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण अतिरिक्त ब्याज आय से वंचित होना	4.72
10	स्काउट एंड गाईड फंड की छात्रों से कम वसूली	1.12
16	बिना प्रिसिपल की स्वीकृति/बिल पारित किये अनियमित भुगतान	0.76
22	विभिन्न निधियों से अनाधिकृत व्यय	0.33

37. लाल बहादुर शास्त्री, राजकीय महाविद्यालय, सरस्वतीनगर, ज़िला शिमला, अवधि 04/2000 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
6	सावधि जमा निवेश पर ब्याज की प्राप्ति न करना	0.40
8(क)(ख)(ग)	निधि खाते से प्रदान किए गए ऋण/अग्रिम वापिस प्राप्त न करना	3.32
12	कम्पयूटर इत्यादि की खरीद पर अनियमित व्यय	1.14
13	पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से अनियमित रूप से मिश्रित निधि में हस्तांतरित करना	1.50
14	वार्षिक समारोह हेतु खरीदी गई सामग्री को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न किया जाना न ही खरीदी गई सामग्री के सन्दर्भ में विभिन्न आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करना	1.16

38 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाख)
8(क)	मिश्रित निधि खाते में से बिजली, पानी, टेलीफोन के बिलों तथा डाक टिकटों के क्रय हेतु किया गया अनियमित भुगतान	1.92

39. राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वैदिक महाविद्यालय पपरोला, जिला काँगड़ा अवधि 04/2011 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
10	राजकीय शुल्कों की राशि को राजकीय कोष में कम जमा करवाना	0.13
12	अग्रधन की राशि का समायोजन न करना	2.88
13	हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के अनुसार सामान की खरीद न करना	1.06

40. राजीव गाँधी राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला, अवधि 04/2011 से 3/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ (लाख)
6	सावधि जमा खाते पर ब्याज के रूप में कम प्राप्ति	0.19
12	विभिन्न निधियों से भुगतान किए अग्रिम का समायोजन न करना	8.12

41. कंवर दुर्गा चन्द राजकीय महाविद्यालय जैसिंहपुर, जिला काँगड़ा, अवधि 06.02.2007 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
10	मिश्रित निधि से अनियमित भुगतान करना तथा स्थाई प्रकृति के सामान को सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही अनियमित रूप से खारिज करना	0.23

42.राजकीय सस्कृत महाविद्यालय नाहन, जिला सिरमौर, अवधि 04/2011 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6	शिक्षा शुल्क के रूप में छात्रों से वसूली न करना	2.01
11 (क)	मिश्रित निधि से अनियमित भुगतान	0.29

43.राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय रोहड़ू, जिला शिमला अवधि 08/2005 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि
13	विभिन्न जाँच समितियों पर छात्र कल्याण निधि से किया गया अनियमित व्यय	0.11
14	हि0प्र0 बोर्ड के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	13.50
15	हि0प्र0 विघुत बोर्ड प्रतिभूति का वापिस न लिया जाना	0.29

44. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला–171005 अवधि 2010–2011

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)

3.1.4	यू0जी0सी0 द्वारा जारी सहायता अनुदान का सम्भावित दुरूपयोग	239.59
3.1.5	यू0जी0सी0 अनुदान से सम्बन्धित बैंक बचत व सावधि जमा से प्राप्त प्राप्त ब्याज को न दर्शाने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान को वार्षिक लेखों में कम आंकलन।	1.55
3.1.7	स्टैण्डर्ड लाईसेन्स फीस की समायोजन लेखों में गलत क्रैडिट करना	7.38
3.1.8	परीक्षा शुल्क का कम लेखांकन करना।	173.03
3.1.9	दिनांक 31.4.2010 को अन्तशेष में अन्तर	197.57
12.2	छात्र निधि (क्षेत्रीय महाविद्यालय तथा विधिक अध्ययन केन्द्र धर्मशाला) से कम वसूली	8.01
13(4)	उचित वित्तीय प्रबन्धन न करने के कारण पैन्शन फण्ड को ब्याज के रूप में वित्तीय हानि	14.87
14(3)	अवकाश वेतन अंशदान का पैन्शन फंड में गलत क्रैडिट	10.63
16	स्त्रोत पर आय की कटौती के कारण सावधिक जमा में ब्याज की कम वसूली बारे	4.26
17	अंकेक्षण में स्त्रोत पर काटे गए अधिक भुगतान	17.79

45. चौ0 सरवण कुमार हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जिला कांगडा, अवधि 2012–2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
11	वर्श 2010–11 के दौरान सामान्य भविष्य निधि खाता धारकों को ब्याज के रूप में अधिक भुगतान	2.05
13	COVAS द्वारा आडियो एवं विडियों के क्रय करने पर हुई वित्तीय हानि	13
15	विश्वविद्यालय के कुमकुमसेरी केन्द्र के बोलेरों की खरीद कर हुई गम्भीर अनियमितताओं बारे।	6.00
19	कृषि विकास फार्म लाडी हेतु अस्थाई अग्रिम के समायोजन में पाई गई गम्भीर अनियमितताएँ	4.00

46. डा0 वाई0 एस0 परमार औद्यौनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन अवधि 2012–2013.

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
4(ए),4(बी)	दिनाँक 31.03.2013 तक अग्रिम राशियों का समायोजन न करना (आंतरिक निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों को छोडकर)	4069
6(ए)	पैन्शन कोरपस फण्ड का अकुशल प्रबन्धन (दिनाँक 31.03.2013 को अत्यल्प शेष)	1020
6(बी)	ग्रेच्युटी कोरपस फण्ड का अकुशल प्रबन्धन	26.32
6(बी)	अवधि 2012–13 के दौरान ग्रेच्युटी कौफरप्स फण्ड से भुगतान करने की बजाए राज्य द्वारा संचालित स्कीम से ग्रैच्युटी का भुगतान करना	242.05
20	संविदाकार को “Extension of boundary wall along the road upto Police Post at Main Campus, Nauni, Solan, H.P.”.के कार्य निष्पादन हेतु 10 सीसी दावे का अनियमित भुगतान	0.40
21	संविदाकार को C/o Administrative block at KVK Kandaghat, Distt. Solan, H.P. हेतु 10 सीसी दावे का अनियमित भुगतान	1.73
32	विश्वविद्यालय कर्मचारियों को परामर्श शुल्क का अनियमित भुगतान	0.92
35(1)(बी)	बिना बजट प्रावधानों के अनियमित भुगतान	23.36
35(8)	सावधि जमा में कम ब्याज प्राप्ति के कारण हानि	2.89

47. ई–गर्वनेन्स सोसाईटी भरमौर,(आर0एल0ए0), जिला चम्बा अवधि 04/2009 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
4	राजकीय कोष में राशि जमा न करना	0.70
7	बिजली के सामान इत्यादि की खरीद पर अनियमित प्रकार से व्यय करना	0.11
10	क्रय की गई राशि की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करना	0.26

48. ई–गवर्नैंस सोसाईटी (आर0 एल0 ए0) भोरन्ज, जिला हमीरपुर अवधि 08.01.2008 से 03/2014

पैरा संख्या	अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5	सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लिये बिना वातानुकुलित मशीन (AC) खरीदने बारे	0.24
6	कुर्सियों की मुरम्मत पर अनुचित व्यय	0.15
7	वाहन चालक के वेतन पर अनुचित व्यय	0.69

49. ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला जिला शिमला, अवधि 07/2006 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6 (ख)	सावधि योजना में निवेशित राशियों पर बैंक द्वारा कम ब्याज देना	1.73
7	ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) शिमला निधि से उपायुक्त कार्यालय के बिजली के बिलों का अनियमित भुगतान	11.61
8	हिमाचल प्रदेश राजकीय इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम को भुगतान करने से सम्बन्धित अनियमितताएं	2.81
10	उपमण्डलाधिकारी अधिकारी चौपाल तथा तहसीलदार कुमारसैन को ऋण के रूप में किए गए भुगतान का समायोजन न करना	1.70
12	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवेलपमैन्ट निगम लिमिटेड को सुगम I तथा सुगम II केन्द्रों में UPS viring and Earthing & Lan Cabling तथा PoP के लिए अनियमित भुगतान	5.46
16	लघु बचत ईनाम निधि को किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताऐं	1.85

50. ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) शिमला (ग्रामीण) अवधि 08/2005 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6	लेपटॉप एवं प्रिन्टर की खरीद पर व्यय करने बारे तथा खरीदे गए लैपटॉप एवं प्रिन्टर की प्रविष्टि सम्पत्ति रजिस्टर के प्रविष्टि न करने	0.65

	बारे	
8	Mobile Sets की खरीद पर अनियमित व्यय	0.44
10	कम्पयूटरों के प्रिंटर में कार्टरजैज की भरवाई अथवा नए खरीदे गए कार्टरजैज के लिये किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करना	0.65
11	मैसर्ज Busniess Masters, SCO-23 (GF) Middle Bazar, Shimla-I से स्टेशनरी तथा अन्य मदों की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.83
12	मैसर्ज Shrestha कन्सलटैन्सी शिमला से कम्पयूटर तथा स्टेशनरी इत्यादि की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताऐं	0.84
13	आर0एल0ए0 शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय तथा सुगम केन्द्र के उपयोग हेतु खरीदी गई स्टेशनरी की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना ही स्टेशनरी का उपयोग	1.06

51. ई–गवर्नेन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) ठियोग, जिला शिमला, अवधि 05/2005 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6	हि0प्र0 सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय के 25% भाग की राशि में से परिवहन विभाग में राशि का कम जमा करवाया जाना	2.28
7	उपयोक्ता प्रभार निधियों से प्राप्त आय में से केन्द्रीय ईकाई के अंशदान के रूप में केन्द्रीय ईकाई शिमला में राशि का कम जमा करवाया जाना	2.54
9	क्रय की गई स्टेशनरी तथा अन्य मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किए बिना ही राशि का भुगतान करने बारे	1.66
12	कम्पयूटर तथा प्रिन्टर्ज इत्यादि की खरीद पर व्यय की गई राशि से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.85

52. ई–गर्वनैन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) धर्मशाला, अवधि 09/2005 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	(₹)लाख
8	राजकीय कोष में राशि कम जमा करवाया जाना ।	4.42
9	हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के साथ जारी किऐ जा रहे रजिस्ट्रैशन सर्टिफिकेट हेतु की सेवा शुल्क की वसूली न करना	22.63

53.ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0), बंगाणा जिला ऊना अवधि 06/2012 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5	लर्नर ड्राईविंग लाईसैन्स, नियमित ड्राईविंग लाईसैन्स तथा रजिस्ट्रेशन फाईलों के क्रय पर व्यय की गई राशि में पाई गई अनियमितताओं तथा क्रय की गई फाईलों के बिक्री से प्राप्त आय से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में	0.28

54. ई–गवर्नैन्स सोसाईटी, (आर0एल0ए0) बड़सर, जिला अवधि 02/2005 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
5	उपयोक्ता प्रभार निधियों से परिवहन विभाग के खाते में 25**%** भाग के रूप में राशि का कम जमा करवाया जाना	5.97
7	ई–गवर्नेन्स निधि से किए गए व्यय के समर्थन में बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	0.17
10	बैंक खाते से आहरित की गई राशि के व्यय से सम्बन्धित विवरण का रोकड़ बही में न दर्शाया जाना तथा व्यय के साक्ष्य से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.07

55. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन अवधि 04/2013 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
8	निर्धारित लक्ष्यों कर व्यय न करने के कारण वर्ष 2013–14 के अन्त में अनुदान की अनुपयुक्त राशि शेष	14.78
9	लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि के एवज में पावतियाँ प्राप्त न करना	1.13

56. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कांगड़ा स्थित पालमपुर, जिला कांगड़ा, अवधि 04/2012 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
6 (क)	निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2012–13 के अन्त मे अनुदान की राशि का शेष पाया जाना	28.23
6 (ख)	निर्धारित लक्ष्यों पर व्यय न करने के कारण वर्ष 2013–14 के अन्त में अनुदान की अनुप्युक्त राशि शेष	36.20
8	लाभार्थियों को अनुदान के रूप में दी गई राशि के एवज में रसीद प्राप्त न करना	0.17

57.हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, अवधि 04/2013 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹(लाख)
8	HPSIDC द्वारा खर्च न की गई राशि को वापिस न लेने बारे	0.38
9	मै0 एस0पी0एस0 इन्टरनेशनल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर भी उनसे नियमानुसार जुर्माने की राशि की वसूली न करना	0.48
10	अनियमित रूप से जमानत की राशि लौटाना	1.40

58. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा सं0	गम्भीर आपत्तियों का सार	(₹)लाख
3(i)	रोकड़ बही व बैंक खातों में बोर्ड गठन से लेकर आज तक अन्तर	87.66
13	छात्रों से परीक्षा शुल्क राशि की बसूली शेष	3.60
14	हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग से पुस्तकों के क्रय हेतु प्राप्त राशि का समायोजन न करना ।	840.00
15	वर्ष के दौरान प्राप्त राशियों में से बैंक में राशि कम जमा करना।	160.10
16	वर्ष के दौरान एस0ओ0एस0 वितरण पत्रिका सेल से प्राप्त आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करना।	17.18
17	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों से की गई कटौतियाँ।	3.11
(3)	डिपुओं की आय को बैंक में कम जमा करना	6.39
22	सरकार द्वारा सचिवालय वेतन तथा अन्य भत्ता का बोर्ड कर्मचारियों को अनियमित भुगतान	—
24	बोर्ड से सेवा निवृत कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा का अनियमित भुगतान।	0.58
26(iii)	वास्तविक सत्यापन समिति द्वारा स्टॉक रजिस्टर में कम पाई गई पुस्तके	0.32
27	अग्रिम राशि का समायोजन न करवाने बारे	2298.64

59.क्षेत्रीय जलक्रीड़ा केन्द्र पौंगडैम, जिला कांगड़ा, अवधि 04/2011 से 03/2014

पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	₹ (लाख)
4 (ख)	प्राप्त आय की राशि का बैंक में जमा न पाया जाना	0.36
8	सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित राशि पर कम ब्याज प्राप्त होना	0.12
9	मैसर्ज प्रदीप ईलेक्ट्रिकल कोतवाली बाजार होशियारपुर से किए गए बिजली के सामान के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.67

60. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का सार	(₹) लाख
4	दिनांक 31.03.13 तक ग्राऊंड रैन्ट आबंटियों से वसूली योग्य राशि शेष	42.98
5	यात्रा भत्ता, अवकाश रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय, एवं भवन निर्माण अग्रिमों की कई वर्षों से वसूली/समायोजन न करना	28.91
6	लेखन व मुद्रण विभाग से 31.03.13 तक अग्रिम का समायोजन न करना	2.77
7.1	सावधि निवेश में अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शाना	25.04
7.2	सावधि लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जाना	725.50
7.3	बैंक प्रमाण पत्र व सावधि अभिलेख में अन्तर पाया जाना	61.93
8	विभिन्न आवासीय बस्तियों से बकाया राशि पिछले कई वर्षों से वसूली न करना तथा न ही आंबटन रद्द करना	363.24
8.1	धरोहर राशि को जब्त न करना	18.61
8.2	लीज रेन्ट की कम वसूली करना	6.62
8.3	आंबटियों से ब्याज की कम वसूल करना	1.41
9	तकनीकी अधिकारियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अधिक भुगतान	4.68
10	मान्य लेखा सिद्धान्तों के विरूद्ध "Advertisement Charges-Display" लेखा शीर्षक को क्रेडिट करके "Service Charges" लेखा शीर्षक को डेबिट किए जाने बारे	8.26
11.2	प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान के रूप में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न करना	9.67
14	मांग सर्वेक्षण (Demand Survey) से सम्बन्धित पूर्वानुमानित ब्याज दायित्व को तुलन पत्र/लेखों में परिलक्षित न करना	170.81

61. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल धर्मशाला अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	राशि (₹) लाखों में
5 (क)	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	60.63
6	निक्षेप कार्यो पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय	547.79
7 (क)	रख–रखाव प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि शेष	177.99
8	विभिन्न आवासीय कलौनियों से जल प्रभार के रूप में वसूली शेष	6.73
9	आई0टी0आई0 निर्माण कार्य में संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	8.22
10	निर्माण कार्य "C/O Staff quarter कन्स्ट्रक्सन स्टॉफ क्वाटरस निर्माण कार्य में संविदाकार को अधिक भुगतान	3.90
11	कन्स्ट्रक्सन आफॅ स्कूल भवन में निर्माण कार्य में संविदाकार को अनियमित भुगतान	1.38
13	आई0टी0आई0 भवन डाडासिवा के निर्माण कार्य में संविदाकार को अनियमित भुगतान	3.26
14	कन्स्ट्रकसन ऑफ पालटैक्निक भवन निर्माण कार्य में अनुचित भुगतान	20.74
27	धर्मशाला मण्डल के विभिन्न उप मण्डलों के भण्डारों में लम्बी अवधि से अनुपयुक्त पड़ी सामग्री	8.36

62. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	आपत्ति का विवरण	(₹)लाख
4	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	98.70
5	आवास बस्तियों के मकान मालिकों से रख रखाव प्रभार की वसूली न करना	22.40
8	विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्यों पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय करने के कारण वसूली योग्य राशि	1337.66
9, 10	गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकारों को सम्भावित अधिक/अनुचित भुगतान	0.67

13	अतिरिक्त व प्रतिस्थापित कार्य मदों का कार्य स्वीकृति के बिना निष्पादन करना	2.29
14	सेवानिवृति की वास्तविक तिथि को सेवानिवृत न करने के फलस्वरूप वेतन का अनियमित भुगतान	0.99

63.हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल शिमला–II अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2013

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	(₹)लाख
4 (ख) (1)	विविध अग्रिम राशियों का समायोजन न करना	14.08
5	रख–रखाव प्रभार व जल प्रभार के रूप में मकान/प्लाट मालिकों से वसूली योग्य राशि शेष	27.67
8	बेलदारों को वेतन के रूप में अधिक भुगतान	6.18
10	निक्षेप निर्माण कार्य (deposit works) के अन्तर्गत प्राप्त राशि से अधिक व्यय की वसूली न करना।	52.93
12 (क)	अनुबन्धित प्रमात्रा में अत्यधिक कार्य निष्पादन करने के फलस्वरूप अनियमित भुगतान	21.95
17	एल्युमिनियम का गलत कन्वर्सन फैक्टर लगाने के फलस्वस्रूप संविदाकार को सम्भावित अधिक भुगतान	0.68
18 (क, ख)	संविदाकार को 10 सीसी बिल में अधिक भुगतान	0.79
19 (क)	दोहरी गणना किए जाने के फलस्वरूप संविदाकार को अधिक भुगतान	1.07
19 (घ)	अनुबन्ध की क्लाज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर परोक्ष रूप में वित्तीय हानि	93.90

64. हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल परवाणू, अवधि 04/2012 से 03/2013.

पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	(₹)लाख
4	विभिन्न आवासीय परिसरों मालिकों से प्रभार के रूप में दिनांक 31.3.2013 तक वसूली योग्य राशि शेष	94.36
5	विभिन्न आवासीय परिसरों के जल प्रभार की राशि दिनांक 31.3.2013 तक वसूली योग्य शेष	37.70

6	परवाणु जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में अधिक व्यय	123
6 (ख)	विविध अग्रिमों की बकाया राशि वसूली योग्य भोष	69.03
7	अनुबन्ध क्लाज 2 व 3(ए) के अनुसार संविदाकार से वसूली न करना	21.79
8	सेल ट्रैक्स की राशि जमा न करना	17.60
9	संविदाकार से अनुबन्ध क्लाज 2 व 3 (ए) के अनुसार संविदाकार से वसूली न करना	11.49
10	संविदाकार को अनुचित/अधिक भुगतान	15.29
11	लैबर सैस की राशि जमा न करना	12.02
13	संविदाकार को निर्माण कार्य में सम्भावित अधिक भुगतान	2.31
15	गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अनियमित/अधिक भुगतान	2.33

65. इन्दिरा गांधी राज्य खेल परिसर संचालन समिति शिमला अवधि 04/2011 से 03/2013

पैरा सं0	**गम्भीर अनियमितताओं का सार**	**(₹)लाख**
5	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	26.51
8	बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए विभिन्न मदों पर अनियमित व्यय	1.62
9	दिनांक 31.03.2013 को अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	1.07

परिशिष्ट–अ

वैधानिक प्रावधान के अर्न्तगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा संपरीक्षित संस्थाओं का विवरण।

क्रम संख्या	संस्थाओं /निधियों का नाम	पत्र संख्या एवं अधिसूचनाए
1	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला	हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय शिमला अधिनियम 1970 की धारा 29 {1} के अधीन
2	चौ0 सरवन कुमार कृषि विश्व विद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विश्वविद्यालय के विधान (Statutes) के अंकेक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन
3	डा0 यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन	हिमाचल प्रदेश कृषि, वानिकी एवं औद्यानिकी विश्व विद्यालय अधिनियम की धारा 45{3} सह पठित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विधान (Statutes) की धारा 13.2 के अधीन
4	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1968
5	हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड	हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 2005 की धारा 48{2} के अधीन
6	विपणन समितियां	नियन्त्रक एवं महालेखाकार द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवं उद्यान उत्पाद अधिनियम 1971 के धारा100{3}के अधीन बनाए गए संशोधित नियम के अधीन।
7{ए}	राजकीय शिक्षण संस्थान {विद्यार्थी निधि}	हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता ,नियम 136 {बी}2 के अधीन
{बी}	विद्यालय एवं महाविद्यालय के संचयिका लेखे	पत्र संख्या फिन–2–सी{ए}–55–6684 दिनांक 9.9.96 के अधीन
8	हिमाचल प्रदेश हिन्दू लोक धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि	हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान व धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1984 धारा 23{2}सी {!!} अधिसूचना संख्या भाषा–ए{डी}–3/85–2 दिनांक 17–1–1989 एफ/बी{पी–173}
9	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 2004{ 2004के अधिनियम संख्या –9} की धारा 28 की उप धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या एच–एसजी–4{डी}1/92–II दिनांक 13–9–2004 के अधीन

10	नगर निगम शिमला	नगर नियम अधिनियम 1994 के संशोधित अधिनियम 2007 की सं0 19 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन{एल0ए0}खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
11	नगर परिषदे/नगर पंचायतें	नगर नियम अधिनियम 1994 की उप धारा 1 व सैक्शन 255 की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन{एल0ए0}खण्ड-4 दिनांक 16.10.2008 के अधीन
12	हि0प्र0 बहुतकनीकी संस्थान व औ0 प्रशिक्षण संस्थान	अधिसूचना सं0 एसटीवी{आईटी}एफ{5}-5/85 दिनांक 16. 10.1986 के नियम 7 के अधीन
13	हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड़ अधिनियम 1986 की धारा 20 के अधीन
14	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण	हिमाचल प्रदेश वैधिक सेवाएं प्राधिकरण विनियम 1996 विनियम 8{5} के अधीन
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड	हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2002 के सेक्शन 14{2} के अर्न्तगत ।
16	मत्स्य एवं कृषक विकास एजेंसी	जी.आई.ए. नियम 5{3} संख्या फिश-एफ-{5}-1 /82-खण्ड-1 दिनांक 29-3-86 द्वारा अधिसूचित
17	हि0प्र0 हाम्योपैथी परिषद	हि0प्र0 हाम्योपैथी प्रैक्टीशनर नियम 1983 के नियम संख्या 26 के अन्तर्गत
18	हिमाचल प्रदेश कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी	भाषा एवं संस्कृति कार्यक्रम विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एलसीए{9} -2/84, दिनांक 10-12-1984 के अधीन
19	मुख्यमन्त्री राहत कोष/जिला राहत कोष	कोष के निर्देश संख्या 8 के अधीन
20	मुख्यमन्त्री के सैनिक कल्याण कोष	समान्य प्रशासन विभाग-ई अनुभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या -जीएडी-ई{सी}8/99दिनांक 2-11-99
21	हिमाचल प्रदेश सचिवालय कैनटीन	पत्र संख्याः पीईआर(एसए-आई)एफ(6)-1/84, दिनांक 8-5-1998, 18-3-88, 16-10-99
22	मेला उत्सव लेखे	संख्या भाषा-सी{13}-2/92-लूज,दिनांक 11-5--99 एफ सी कम सैक्रेटरी एलएसी के द्वारा
23	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद	हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद जी आई ए नियम अधिसूचना संख्या -ए एच वाई -ए{5}5/86-दिनांक 3-1-94 द्वारा

24	आर्युवैदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्वति बोर्ड	पत्र संख्याःएच एवं एफ.डब्लयू{सी}{1}–21/76 दिनांक 22–6–1977
25	रक्षा सैन्य बल हितकारी निधि झंडा रोहण दिवस निधि	निधि के प्रयोग के लिए नियम अधिसूचना सेख्या 11–58/66/जीएडी 'ए' दिनांक 19–10––1977 के नियम 9 के अधीन
26	राज्य सैनिक बोर्ड़ विशेष निधि आर. आर. सैनिक विश्राम निधि	सैन्य सुरक्षा राहत निधि/ राष्ट्रीय सुरक्षा राहत कोष के निदेश संख्या 9 के अधीन
27	सभी जिलों में लघुबचत पारितोषिक निधि,जिला खेल ,संस्कृति शिक्षा पुस्तकालय और अन्य विकास निधि	पत्र संख्याः फिन सी 15–25/77 (डब्लयू एण्ड एम)दिनांक 29–12–1978
28	ई–गर्वनेन्स	परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टीपीटी–एफ{1}2/2000–ई गर्वनेन्स दिनांक 03.09.2005 के अन्तर्गत
29	इन्दिरा गांधी खेल परिसर, शिमला	निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल के पत्र संख्या 4–31/83–वाईएसएस–4388 दिनांक 9.07.2003 के अन्तर्गत
30	पर्वतारोहण एवं सहायक खेल संस्थान मनाली	सामान्य प्रशासन विभाग, हि0प्र0 की अधिसूचना संख्याःजीएडी-3–सी{4}13/76 दिनांक 18.03.1978 के अन्तर्गत
31	हिम कॉपस (HIMCOPS)] शिमला	हिमकाप की गवर्निग बाडी की दिनांक 11.03.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निदेशक,पुलिस संचार एवं तकनीकी सेवाएं, हि0प्र0 के पत्र संख्या 4142, दिनांक 25.03.2011 के अन्तर्गत

परिशिष्ट ''ब''

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित निर्देशिका

1. मुख्यालय :–

कम सं0	नाम, पदनाम तथा पता	कार्यालय दूरभाश सख्या
1	श्री राजेश शर्मा, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग	0177–2620757
2	श्री अनिल दत्त शर्मा, अतिरिक्त निदेशक	0177–2620046
3	श्री बसन्त सिंह कंवर, उप निदेशक, सहायक	0177–2620881
4	श्री सुनील कुमार आंगरा, उप निदेशक	0177–2620881
5	श्री देस राज चौहान, सहायक निदेशक	0177–2620046
6	श्री ललित अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी	0177–2620881
7	श्री बृजेन्द्र मोहन पुरी, अनुभाग अधिकारी	0177–2620046

2. निवासी अंकेक्षण योजनाएं :–

कम सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	योजना का नाम	दूरभाश सं0
1	श्री धर्म सिंह चौधरी, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, चौ0 सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	01894-230354
2	श्री दीना लाल ठाकुर, संयुक्त नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विश्वविद्यालय	0177-2830892
3	श्री कशमीर सिंह वर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्म ाला.	01892-229333
4	श्री बलदेव राज शर्मा, उप नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, डा0वाई0एस0परमार औ0 एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन.	01792-252171
5	श्री जगजीत सिंह पटियाल, सहायक नियन्त्रक	निवासी अंकेक्षण योजना, हि0प्र0 विपणन बोर्ड खलीनी,शिमला–2	0177-2621316
6	श्रीमति मीरा गौतम, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12.	0177-2841167
7	श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति सोलन	01792-230459
8	श्री राजवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कांगडा	01892-265195
9	श्री मोहिन्द्र कुमार , अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति मण्डी .	01907-265592
10	श्रीमति इन्दिरा वर्मा, अनुभाग अधिकारी	निवासी अंकेक्षण योजना, विपणन समिति कुल्लू.	01902-222208

परिशिष्ट ''स''

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की निर्देशिका

मुख्य कार्यालय शिमला –171009

क सं	पदनाम	पदों की संख्या	ग्रेड पे	संशोधित वेतनमान
1.	अतिरिक्त निदेशक	1	8400	15600-39100
2.	संयुक्त निदेशक/संयुक्त नियंत्रक	2	7800	15600-39100
3.	उप निदेशक/उप नियंत्रक	7	6600	15600-39100
4.	सहायक निदेशक/सहायक नियंत्रक	9	5400	15600-39100
5.	अनुभाग अधिकारी	35	5000	10300-34800
6.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	61	3800	10300-34800
7.	कनिष्ठ सहायक	3	3600	10300-34800
8.	लिपिक	4	1900	5910-20200
9.	चालक	2	2000	5910-20200
10	प्रतिलिपि यंत्र चालक	1	1900	5910-20200
11.	दफतरी	1	1900	5910-20200
12	चपरासी	6	1300	4900-10680
	कुल	**132**		

....